126

राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

न्यायालय श्रीमान ~~अपर आयुक्त~~ महोदय, सागर संभाग सागर म०प्र०

प्रहलाद पिता गनेश प्रसाद कुर्मी

निवासी- किशनपुरा पोस्ट उदयपुरा निवासी

तहसील व जिला सागर (म०प्र०)

R. 3446-II/15

-- अपीलार्थी

|| विरुद्ध ||

(१) राजाराम पिता दौलत कुर्मी

(२) गनेश पिता दौलत कुर्मी

(३) परसादी पिता दौलत कुर्मी

(४) हरकिशन पिता दौलत कुर्मी

(५) बैनीबाई पिता दौलत कुर्मी

(६) रामश्री पिता दौलत कुर्मी

(७) मनोबाई पिता दौलत कुर्मी

(८) बृज सिंह ना०बा० वल्द व वली परसादी

(९) हरीराम पिता परू कुर्मी (फौत) के वारसान-

१- श्रीमति गिरजा रानी विधवा पत्नि हरिराम कुर्मी

२- रामसेवक वल्द स्व० हरिराम कुर्मी

३- नन्हेंभाई पिता स्व० हरिराम कुर्मी

४- काशीराम पिता स्व० हरिराम कुर्मी -सा० मढ़ोतिया

५- बाला प्रसाद पिता स्व० हरिराम कुर्मी

६- श्रीमति भागबाई पुत्री स्व० हरिराम कुर्मी

साकिन- गिरवर तहसील व जिला

सागर (म०प्र०)

-- प्रति अपीलार्थीगण

रा०प्र०क्र० प्रस्तुत दिनांक 1/9/15

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू०रा०सं० १९५९

पुनरीक्षण का विवरण

-२-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3446-II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. यह निगरानी अनु अधि, सागर के अपीलीय प्र क्र १७०/अ६/११-१२ में पारित आदेश दि १५-६-१५ के विरुद्ध प्रस्तुत है. अनु अधि ने इस आदेश से इस न्यायालय के आवेदक द्वारा उनके समक्ष उनके अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि २३-७-११ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विलम्ब के आधार पर, विलम्ब हेतु बीमारी का कारण बताने किन्तु बीमारी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण, निरस्त किया है. अनु अधि के इसी आदेश के विरुद्ध रा मं में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ है. आवेदक अधिवक्ता ने तर्क में बताया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार, सागर द्वारा मृतक ठाकुरदास की फौती का प्रमाणीकरण दि २३-७-११ पारित करने के पूर्व उसे व्यक्तिशः नोटिस और सुनवाई का अवसर नहीं दिया. आदेश दि २३-७-११ की जानकारी मिलने पर आवेदक ने दि ८-६-१२ को उसकी प्रतिलिपि हेतु आवेदन लगाया और दि १३-६-१२ को प्रतिलिपि मिलने पर उसने अनु अधि के समक्ष अपील प्रस्तुत की. उसका कहना है कि मृतक ठाकुरदास की वसीयत दि २५-५-०५ के अनुसार उसे उसकी सम्पत्ती पर भूमिस्वामी दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु अनु अधि द्वारा विलम्ब माफ़ नहीं किया जाने से न्याय का व्यापक उद्देश्य विफल हुआ है. प्रकरण में परीक्षण एवं विचार उपरांत मैं प्रकरण में निम्न महतवपूर्ण बिंदु पाता हूँ: • आवेदक प्रह्लाद द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधन पंजी आदेश दि २३-७-११ की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसे उस संशोधन पंजी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण उसे उस आदेश की जानकारी समय पर नहीं मिल पाई. इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता ने प्रह्लाद के पक्ष में निष्पादित विषयांकित कथित वसीयतनामे दि २५-५-०५	

की प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है. इनके परिशीलन से प्रकरण के गुणदोष न्यायहित में विचार किये जाने योग्य प्रथमदृष्टया प्रतीत होते हैं.

- उनके द्वारा चिकित्सा से सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ, अनु अधि के समक्ष प्रस्तुत धारा ५ के आवेदन की प्रति, तथा न्यायदृष्टान्त १९९० रा नि ९२ जीवनलाल वि कालिंद्री बाई, १९९० रा नि २३७ केशरी वि झब्बू और १९८९ रा नि १९२ शीला तथा अन्य वि ललजा काछी भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, जिनके प्रकाश में मुझे अनु अधि के समक्ष अपील के प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ़ी योग्य प्रतीत होता है.

अतः, उपरोक्त के प्रकाश में मैं अनु अधि के समक्ष अपील के प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ़ करता हूँ. साथ ही अनु अधि को उनके न्यायालय का अपीली प्र क्र १७०/अध/११-१२ पुनः खोलकर उसमें उभयपक्ष को पक्ष समर्थन आदि का समुचित अवसर देते हुए, गुणदोष पर विचार कर आदेश पारित करने के निर्देश देता हूँ.
इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.
आदेश पारित.
पक्षकार एवं अनु अधि, सागर सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य